कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग(कलेक्टर कार्यालय के पीछे) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग

(कार्यालय दूरभाष – 07836–232569 E-mail ID– lcdskoria56@gmail.com)

क्रमांक / 1750 / मबावि / मि.वा. / नियुक्ति / 2025–26 बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/1/2026

प्रति,

संयुक्त संचालक
जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– **मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड हेल्प लाईन के रिक्त संविदा पदों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन प्रकाशन करने बावत्।**

विषयांतर्गत लेख है, कि मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड हेल्पलाईन के जिला स्तरीय संविदा पद आउटरीच वर्कर–02 पद एवं सहा सह कम्प्यूटर ऑपरेटर–01पद एवं केस वर्कर–1 पद की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रसारित किए गये है। प्रसारित विज्ञापन संलग्न है। समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाईट http://cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करे।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

Digitally signed by
Naval Singh Rawate
Date: 22-01-2026
16:07:59

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोरिया छ.ग.

पृ0 क्रमांक / 1751 / मबावि / मि.वा. / नियुक्ति / 2025–26 बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/1/2026

प्रतिलिप :–

1. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
3. उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय कोरिया को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषन हेतु सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरिया(एनआईसी) कोरिया को सूचनार्थ एवं कोरिया के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोरिया छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–कोरिया(छ.ग.)

–: विज्ञापन :–

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन के तहत जिला स्तरीय पद केस वर्कर(संविदा) भर्ती के संबंध में विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत एवं चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रकिया अनुसार जिला स्तर पर चाईल्ड हेल्पलाईन यूनित में केस वर्कर पद पर एकमुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 11.02.2026 कार्यालयीन समय 05:30 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पद एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है:–

क.	पदनाम	अनारक्षित(मुक्त)	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.जा.	अपिव	योग	एक मुश्त मासिक वेतन
01	केस वर्कर (संविदा)	01	00	00	00	01	16000.00

" उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है"

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता निम्नानुसार होगी :–

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
केस वर्कर (संविदा)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास	अच्छा संचार दक्षता हो	–	• अनुभवी आवेदको को प्राथमिक दी जावेगी। • आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिका दी जावेगी।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :–

1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। अन्यथा आवेदन मान्य नही किया जावेगा।
2. सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप आयु की छूट की पातत्रा होगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकत्तम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। आयु की गणना 10वीं की अंकसूची ही मान्य होगा।
3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
4. संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
6. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंधित से छूट दे सकता है।
7. **अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है–**
   1. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
   2. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
   3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

टीप– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षण (जहां लागू होगा) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

9. जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

10. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया अंकीय प्रणाली निम्नानुसार रहेगी :– निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जावेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी–

पदनाम	चयन प्रकिया
केस वर्कर (संविदा)	1. अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत 60 अंक दिये जायेंगे। 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर् प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। 3. आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा। 3. साक्षात्कार में 20 अंक निर्धारित रहेगा।

11. अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीता दी जावेगी। यदि उम्र समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरियता दी जावेगी।

12. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत/कौशल परीक्षण हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा।

13. प्रत्येक पद के लिए प्रावीण्य सूची अनुसार 03 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

14. संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात चाईल्ड हेल्पलाईन में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नही किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

15. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

16. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17. नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तो का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

19. चयनित अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।

20. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

21. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
22. योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे।

आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है–

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र आमन्य कर दिये जावेगे एवं संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नही दी जावेगी।
2. प्रेषित लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **आवेदन पत्र जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया को पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।** आवेदन के साथ स्वयं का वर्तमान पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र के साथ वाछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
5. निर्धारित अर्हता एवं शर्तो का पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
6. आवेदन द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. चयन संबंधी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर कोरिया का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
8. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरिया के सूचना पटल पर एवं कोरिया जिले के वेबसाईट www.korea.cg.gov.in पर देखी जा सकती है ।
9. आवेदन द्वारा पत्र में सही पता ई–मेल आईडी का उल्लेख किया जाये ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जा सके।

टीप– दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वाछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Naval Singh Rawate
Date: 22-01-2026
16:14:07

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोरिया(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें ।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला कोरिया (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. स्थायी पता :– ....
   :– ....

5. पत्र व्यवहार का पता :– ....
   :– .... मो.न. ....

6. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....

7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :– ....

8. लिंग पुरूष/महिला :– ....

9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व./सामान्य) जाति .... वर्ग ....

10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ?:– ....

11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :– ....

12. यदि आप विवाहित है,तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....

13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

Scanned with OKEN Scanner

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में सलग्न कर सकते है ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
4. पद अनुरूप आवश्यकता होने पर
5. व्यवसायिक पाठ्कम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण :–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6 ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

–:: घोषणा पत्र ::–

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान – ....

दिनांक – ....

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–कोरिया(छ.ग.)

–: विज्ञापन :–

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला स्तरीय पद पर सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(संविदा)एवं आउटरीच वर्कर(संविदा) भर्ती के संबंध में विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों व स्वीकृत पद अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के कियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 11.02.2026 समय 05:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित हैं। पद एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	पदनाम	पद संख्या	संविदा वेतन	चयन प्रकिया
01	सहा सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) बाल कल्याण समिति	01	11916.00 प्रतिमाह	संविदा
02	आउटरीच वर्कर(संविदा)	02	10592.00 प्रतिमाह	संविदा

क.	पदनाम	अनारक्षित(मुक्त)	अ.ज.जा.(मुक्त)	अ.जा.(मुक्त)	अपिव	योग
01	सहा सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	00	00	00	01
02	आउटरीच वर्कर	00	01	01	00	02

" उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है"

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता निम्नानुसार होगी :–

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
सहा सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बाल कल्याण समिति)	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वी उत्तीर्ण	हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably)महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण
आउटरीच वर्कर	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड में 12वीं (10+2) उत्तीर्ण	अच्छा संचार कौशल	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably)महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	–

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें :–

1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। अन्यथा आवेदन मान्य नही किया जावेगा।
2. सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप आयु की छूट की पातत्रा होगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकत्तम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। आयु की गणना 10वीं की अंकसूची ही मान्य होगा।
3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
4. संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

Scanned with OKEN Scanner

6. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंधित से छूट दे सकता है।

7. **अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है–**

1. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
2. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षण (जहां लागू होगा) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

9. जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

10. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया अंकीय प्रणाली निम्नानुसार रहेगी :– निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जावेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी–

पदनाम	चयन प्रकिया
सहा सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बाल कल्याण समिति)	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 70 अंक। 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर् प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। 3. साक्षात्कार परीक्षा 10 एवं कौशल परीक्षा 10 अंक निर्धारित रहेगा।
आउट रिच *वर्कर* (संविदा)	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 70 अंक। 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर् प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। 3. साक्षात्कार में 20 अंक निर्धारित रहेगा।

11. अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरियता दी जावेगी।

12. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत/कौशल परीक्षण हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा।

13. प्रत्येक पद के लिए प्रावीण्य सूची अनुसार 03 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

14. संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जा सकेगा।

15. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

16. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्त संबंधी अर्हताओं एवं शर्तो का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
18. उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्ति कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है। तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा/2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छ.ग. की मानव संधान नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।
19. चयनित अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
20. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
21. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है–

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र आमन्य कर दिये जावेगे एवं संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नही दी जावेगी।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **आवेदन पत्र जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया को पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।** आवेदन के साथ स्वयं का वर्तमान पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र के साथ वाछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
5. निर्धारित अर्हता एवं शर्तो का पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
6. आवेदन द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. चयन संबंधी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर कोरिया का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
8. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरिया के सूचना पटल पर एवं कोरिया जिले के वेबसाईट www.korea.cg.gov.in पर देखी जा सकती है ।
9. आवेदन द्वारा पत्र में सही पता ई–मेल आईडी का उल्लेख किया जाये ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जा सके।

टीप– 1. उपरोक्त सभी नियुक्त एवं चयन प्रकियाए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

2. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वाछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by Naval Singh Rawate
Date: 22-01-2026 16:10:29

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोरिया(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला कोरिया (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   :– ....
5. पत्र व्यवहार का पता :– ....
   :– .... मो.न. ....
6. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :– ....
8. लिंग पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व./सामान्य) जाति .... वर्ग ....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ?:– ....
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :– ....
12. यदि आप विवाहित है,तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

Scanned with OKEN Scanner

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में सलग्न कर सकते है ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
4. पद अनुरूप आवश्यकता होंने पर
5. व्यवसायिक पाठ्कम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण :–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6 ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

–:: <u>घोषणा पत्र</u> ::–

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान – ....
दिनांक – ....

Scanned with OKEN Scanner